आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10.6.17	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया** नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 – 24/2013–14 1. सावित्री देवी, पति–गयानंद साह 2. बबलु कुमार साह व अनिल कुमार साह व सुनिल कुमार साह, पिता–गयानंद साह, सभी सा0–बलुआ कलियागंज, थाना–पलासी, जिला–अररिया – आवेदकगण **बनाम** 1. पवन कुमार अग्रवाल, पिता–स्व0 लाल चंद अग्रवाल 2. विमल कुमार अग्रवाल, पिता–स्व0 लाल चंद अग्रवाल 3. श्रीमती प्रमीला देवी, पिता–स्व0 लाल चंद अग्रवाल 4. श्रीमती कंचन देवी, पिता–स्व0 लाल चंद अग्रवाल 5. श्रीमती किरण देवी, पिता–स्व0 लाल चंद अग्रवाल 6. श्रीमती कविता देवी, पिता–स्व0 लाल चंद अग्रवाल सभी सा0–कलियागंज, थाना–पलासी, जिला–अररिया – विपक्षी प्रथम पक्ष 7. प्रमोद कुमार अग्रवाल, पिता–स्व0 बाबु लाल अग्रवाल 8. मो0 केशरी देवी, पति–स्व0 बाबु लाल अग्रवाल 9. गणेश कुमार अग्रवाल, पिता–स्व0 बाबु लाल अग्रवाल 10. निर्मल कुमार अग्रवाल, पिता–स्व0 बाबु लाल अग्रवाल सभी सा0–मदनपुर, पो0+थाना–मदनुपर, जिला–अररिया – विपक्षी द्वितीय पक्ष **आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदिका सावित्री देवी, पति–गयानंद साह एवं अन्य, सा0–बलुआ कलियागंज, थाना–पलासी, जिला–अररिया की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 210/2012 / 118/2013–14 (पवन कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम प्रमोद अग्रवाल एवं अन्य) में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 25.9.2013 से विक्षुब्ध होकर समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 17.01.2014 को नैसर्गिक न्याय के हित में विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा इस वाद के निष्पादन तक निम्न न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई तथा इसे दिनांक 21.08.2015 को विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1266, दिनांक 04.09.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। **वाद्रस्त भूमि का विवरण** | मौजा	थाना नं	खाता	खेसरा	रकवा | |---|---|---|---|---| | बलुआ अंचल–पलासी | 43 | 570 | 3542 | 2.40 ए0 | समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से ही पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई थी।	

जहाँ विपक्षीगणों द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया जा चुका है। हस्तांतरण उपरांत अभिलेख को सुनवाई हेतु निर्धारित की गई तथा उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खाता 570, खेसरा 3542, कुल रकवा 16.58 ए0 एवं खेसरा रा0 3717/5496, रकवा 0.46 ए0, कुल 17 एकड़ 4 डी0 का सर्वे खतियान वैजु लाल अग्रवाल तथा गुरूमुख लाल अग्रवाल, पिता–मुड़ामल अग्रवाल ब हिस्सा बराबर दर्ज है। खतियानी रैयत की मृत्यु के पश्चात् उनके वैद्यानिक वारिशानों के बीच स्वत्व वाद सं0 09/1973 पूर्णियाँ सब जज के न्यायालय में दाखिल हुआ, जो काफी कन्टेस्ट एवं कागजी साक्ष्यों के आधार पर मान्नीय सब जज पूर्णियाँ द्वारा प्रश्नगत भूमि बाबु लाल अग्रवाल जो विपक्षीगण द्वितीय पक्ष के पूर्वज थे तथा उक्त दिवानी वाद सं0 09/1973 में प्रतिवादी सं0 14 थे, के पक्ष में डिग्री पारित किया गया। तत्पश्चात बाबू लाल अग्रवाल को अंतिम डिग्री दिनांक 27.9.1975 को पारित होने के पश्चात् प्लीडर कमीशनर बहाल कर शांतिपूर्ण दखल कब्जा वाद भूमि पर दिला दिया गया।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षीगण प्रथम पक्ष के पूर्वज द्वारा दिवानी वाद सं0 09/1973 के पारित डिग्री के विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में सिविल अपील वाद सं0 10/1976 दायर किया गया, जो दिनांक 03.01.2008 को खारिज हो गया और दिवानी वाद सं0 09/1973 में पारित आदेश सम्पुष्ट हो गई। तत्पश्चात अंचलाधिकारी, पलासी के न्यायालय से विपक्षीगण द्वितीय पक्ष के नाम से नामान्तरण वाद सं0 25/2012–13 द्वारा प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज विपक्षीगण प्रथम के आपत्ति एवं सरकारी अधिवक्ता के विधि परामर्श के आलोक में नामान्तरण आदेश विपक्षीगण द्वितीय के पक्ष में विज्ञ अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक 18.4.2012 को पारित कर दिया गया तथा नामान्तरण उपरांत जमाबंदी सं0 3433 उनके पक्ष में कायम हुआ।

इनका यह भी कहना है कि आवेदकगण (पुनरीक्षणकर्त्ता) बाबुलाल अग्रवाल के वैद्यानिक उत्तराधिकारी केशरी देवी, प्रमोद अग्रवाल व मनेश अग्रवाल, पति/पिता–स्व0 बाबु लाल अग्रवाल से दो निबंधित दस्तावेज सं0 7265 एवं 7266, दिनांक 28.6.2012 द्वारा वादग्रस्त भूमि से 1.80 ए0 भूमि क्रय किया गया, जिसपर इनलोगों के द्वारा पक्का का मकान, टीन शेड का गोदाम बनाकर दखलकार है तथा भूमि के अधिकांश भाग पर खेतीबारी करते हैं। वर्त्तमान में मौजा–बलुआ की जमीन मूल्यवान होने लगी तो स्व0 लालचंद अग्रवाल के वारिशान विपक्षीगण प्रथम पक्ष की ओर से एक कोलोसिव दिवानी वाद सं0 224/2000 मुंसफ, अररिया के न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के रकवा 8.63 एकड़ पर हक घोषित करने हेतु दायर किया। जिसमें क्रेतागण पक्षकार नहीं है तथा मूल दिवानी वाद सं0 09/1973 एवं 10/1976 को छिपाकर एक पक्षीय डिग्री दिनांक 29.12.2010 को पारित करा लिया गया, जो दिवानी वाद सं0 09/1973 एवं 10/1976 के

पारित आदेश डिग्रीधारी पर प्रतिबंधित नहीं है।

आगे इनका यह भी कहना है कि दिवानी वाद सं0 224/2000 के पारित डिग्री के आधार पर विपक्षीगण प्रथमपक्ष के नामान्तरण वाद सं0 25/2012–13 के विरूद्ध विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय के नामान्तरण अपील वाद सं0 210/2012 / 118/2013–14 पवन कुमार अग्रवाल ई0 बनाम प्रमोद अग्रवाल ई0 दाखिल किया गया। जिसमें पुनरीक्षणकर्त्ता मध्यपक्षी स्वीकृत हुए। किन्तु विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता के दखल कब्जा एवं दिवानी वाद सं0 09/1973 एवं मान्नीय उच्च न्यायालय के दिवानी अपील वाद सं0 10/1976 के पारित आदेश की अनदेखी कर विपक्षीगण प्रथम पक्ष के अपील को गलत ढ़ंग से स्वीकृत कर दिया गया है, जो नामान्तरण प्रक्रिया के विरूद्ध है।

अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 25.9.2013 को निरस्त कर पुनरीक्षणकर्त्तागण के दावे को स्वीकृत करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षीगण प्रथम पक्ष सं0 1 से 6 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के पूर्वज बैजूलाल अग्रवाल एवं गुरूमुख अग्रवाल की खेसरा सं0 3542, रकवा 16.58 एकड़ भूमि का आर0एस0 खतियान संयुक्त रूप से दर्ज था। दोनों के बीच प्रश्नगत भूमि एवं अन्य भूमि को लेकर खानगी बँटवारा हुआ, जिसमें प्रश्नगत भूमि के साथ अन्य भूमि बैजूलाल अग्रवाल के खास हिस्से में पड़ी तथा अन्य शेष भूमि विपक्षी द्वितीय पक्ष के पूर्वज गुरूमुख लाल अग्रवाल के हिस्से में पड़ी और बँटवारा के अनुसार ये लोग अपने–अपने भूमि पर दखल काबिज हुए। बैजुलाल अग्रवाल की मृत्यु के वाद उनके वारिशान प्रश्नगत भूमि एवं अन्य भूमि पर खास दखलकार हुए। दिवानी वाद सं0 09/1973 में जो डिग्री पारित हुई वह अमल में नहीं लाया गया और नहीं उक्त दिवानी मुकदमा में पारित डिग्री के आधार पर विपक्षीगण द्वितीय पक्ष वादग्रस्त भूमि पर न्यायालय के प्रक्रिया के तहत दखलकार हुए।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षीगण प्रथम पक्ष के पिता लालचंद अग्रवाल एवं विपक्षीगण द्वितीय पक्ष के पिता बाबू लाल अग्रवाल एवं अन्य के विरूद्ध प्रश्नगत खाता 570, खेसरा 3542, रकवा 8.63 ए0 भूमि को लेकर मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में दिवानी वाद सं0 224/2000 दाखिल हुआ और उक्त दिवानी मोकदमा में विपक्षीगण प्रथम पक्ष के पक्ष में डिग्री पारित हुआ, जिसकी पूरी जानकारी के पश्चात् भी विपक्षीगण द्वितीय पक्ष ने अबतक उक्त डिग्री को निरस्त करने हेतु किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार दिवानी वाद सं0 224/2000 में पारित डिग्री विपक्षीगण द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी है और अपील वाद के दौरान ही विपक्षीगण द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पुनरीक्षणकर्त्तागण के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जो निबंधित दस्तावेज सं0 7265 एवं 7266, दिनांक 28.6.2012 वैद्यानिक नहीं है।

उपरोक्त केवाला के जरिये पुनरीक्षणकर्त्तागण कभी भी विवादित भूमि पर दखल काबिज नहीं हुए है। विज्ञ अंचलाधिकारी ने दिवानी मोकदमा सं0 224/2000 के पारित डिग्री को दर किनार करते हुए तथा दखल कब्जा की जाँच किये बिना नामान्तरण वाद सं0 25/2012–13 में विपक्षीगण द्वितीय पक्ष के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित कर दिया गया है। जबकि नामान्तरण प्रक्रिया में दखल कब्जा होना एक निर्णायक तथ्य है। अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया का पारित आदेश बिल्कुल न्यायोचित है। जिसे बहाल रखते हुए आवेदकगणों के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि का संयुक्त खतियान विपक्षीगण प्रथम पक्ष एवं विपक्षीगण द्वितीय पक्ष के पूर्वज बैजु लाल अग्रवाल एवं गुरूमुख लाल अग्रवाल के नाम से दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि सब जज, पूर्णियाँ के दिवानी वाद सं0 09/1973 के द्वारा विपक्षीगण द्वितीय पक्ष के पिता बाबूलाल अग्रवाल को डिग्री द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसके विरूद्ध विपक्षीगण प्रथम पक्ष के पूर्वज द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में सिविल अपील वाद सं0 10/1976 दाखिल किया गया, जो दिनांक 03.01.2008 को खारिज हो गया। इस प्रकार दिवानी वाद सं0 09/1973 के पारित डिग्री बरकरार रह गई और उक्त पारित डिग्री के अनुसार विपक्षीगण द्वितीय पक्ष के पूर्वज वादग्रस्त भूमि पर प्लीडर कमीशनर बहाल कराकर शांतिपूर्ण दखल काबिज हुए। बाबू लाल अग्रवाल की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिशानों द्वारा वादग्रस्त भूमि का दाखिल–खारिज अंचल कार्यालय पलासी से नामान्तरण वाद सं0 25/2012–13 द्वारा कराई गई। जिसके विरूद्ध विपक्षीगण प्रथम पक्ष द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 210/2012 / 118/2013–14 एक दिवानी वाद सं0 224/2000 में पारित एक पक्षीय आदेश के आलोक में दाखिल किया गया। उक्त दिवानी वाद सं0 224/2000 पूर्व के दिवानी वाद सं0 09/1973 एवं दिवानी अपील वाद सं0 10/1976 के पारित आदेश के विरूद्ध नहीं है और न ही वर्त्तमान क्रेतागण पक्षकार है। इस प्रकार दिवानी वाद सं0 224/2000 में पारित आदेश पुनरीक्षणकर्त्तागण पर प्रतिबंधित नहीं है। जहाँ तक प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा का प्रश्न है तो वर्त्तमान क्रेतागण (पुनरीक्षणकर्त्ता) का वादग्रस्त भूमि पर पक्के का मकान, टीन के छत का गोदाम एवं खेती–बाड़ी के साथ दखल कब्जा कायम है और नामान्तरण प्रक्रिया में दखल–कब्जा होना मुख्य आधार है। साथ ही साथ पुनरीक्षणकर्त्तागण के निबंधित दस्तावेज का अपील वाद के तहत निष्पादित होने का प्रश्न है तो यहाँ विपक्षीगण प्रथम पक्ष द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद दिनांक 16.7.2012 को दाखिल किया गया है। जबकि पुनरीक्षणकर्त्तागण का केवाला

दिनांक 28.6.2012 को निष्पादित हुआ है। नामान्तरण वाद सं0 25/2012–13 में विज्ञ अंचलाधिकारी, पलासी के पारित आदेश का अवलोकन किया। साथ हीं संबंधित नामान्तरण वाद सं0 25/2012–13 में सरकारी अधिवक्ता हसीबुर रहमान के दाखिल विधि परामर्श का अवलोकन किया। जिसका जिक्र अचंलाधिकारी, पलासी के पारित आदेश दिनांक 18.04.2012 में उल्लेखित है कि दिवानी वाद सं0 09/1973 में मान्नीय सब जज, पूर्णियाँ द्वारा पारित आदेश एवं फाईनल डिग्री उक्त मुकदमा के दोनों पक्षों के सभी सदस्य तथा उनके उत्तराधिकारी पर बाध्य है। जहाँ तक दिवानी मुकदमा सं0 224/2000 का सवाल है तो उसमें वादी ने दिवानी वाद सं0 09/1973 के डिग्री के खिलाफ कोई आतुतोष (राहत) की माँग नहीं किया था। साथ ही उक्त वाद में खाता सं0 570, खेसरा सं0 3542 के रकवा 8.63 एकड़ का मुकदमा है। जबकि खेसरा 3542 का कुल रकवा सर्वे खतियान के अनुसार 16.58 ए0 है। सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य स्पष्ट है कि "नामान्तरण वाद सं0 25/2012–13 के आवेदक प्रमोद अग्रवाल एवं उनके स्व0 पिता बाबू लाल अग्रवाल के नाम मौजा–बलुआ, थाना नं0 43, खाता 570, खेसरा 3542, रकवा 2.40 ए0 का नामान्तरण दिवानी मुकदमा सं0 09/1973 के आधार पर दिया जा सकता है। दिवानी वाद सं0 224/2000 की डिग्री दिवानी वाद सं0 09/1973 पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालता है।" तत्पश्चात विज्ञ अंचलाधिकारी, पलासी द्वारा विपक्षी प्रथम पक्ष के आपत्ति का निराकरण कर विपक्षी द्वितीय पक्ष के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत एवं न्याय संगत है।

अतएव नामान्तरण अपील वाद सं0 210/2012 / 118/2013–14 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 25.9.2013 को विधि सम्मत एवं न्यायहित में नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है तथा पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अररिया/अंचल अधिकारी, पलासी को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह०—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 66 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 10 / 06 /2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को नामान्तरण अपील वाद सं0 210/2012 / 118/2013–14 (पवन कुमार अग्रवाल ई0 बनाम प्रमोद अग्रवाल ई0) मूल के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पलासी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

10.6.17
अपर समाहर्त्ता
अररिया